B. A. Part-2
3rd. Paper

TOPIC – Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy
(मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व)

Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol. Sc.)
Rohtas Mahila College, Sasaram

Date – 29.04.2020

मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर अपनाया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976, द्वारा संविधान के भाग IV में एक नया भाग IV क जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 'क' था, जिसमें पहली बार नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। जो कि निम्न हैं:–

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना पालन करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

Scanned with CamScanner

5. समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास ।

6. भारत भूमि की सामासिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

7. प्राकृतिक पर्यावरण वन झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करें उसका संवर्धन करें ।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद. और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें ।

9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा से दूर रहें।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जिससे राष्ट्र उन्नति करें।

11. 6 से 14 वर्ष की तक की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया।

मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए सचेतक रूप में कार्य करते हैं, इनमें से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तो कुछ नागरिक। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का अभिप्राय है कि सब नागरिक सभी के सर्वमान्य हित के लिए अथक प्रयास करने के वचन बद्ध है।